



2251

दूरध्वाम 2206700  
2206710

नव गोदाना बैंड, 10 अशोक मार्ग, जयगढ़-220001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 1737 / 05 / 76 / एक / 2015-16

दिनांक : 28 जुलाई 2015

सेवा में  
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभियानविषय : जनपद-अलीगढ़।  
वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूदा द्वारा आपके जनपद (दूड़ा) को अल्पसंख्यक वाहन बसियों तथा मलिन बसियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।महोदय,  
अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहन बसियों तथा मलिन बसियों में इन्टरलोकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विकरण के अनुसार धनराशि अवगुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु 0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक ऑफ बड़ोदा	21610100007478	IFSC Code BARBOMALKHA	76.913
(धनराशि लाख रु 0 में)			

क्र. सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	वस्ती / बांड का नाम	द्वितीय फिल्टर की धनराशि का प्रेषण
1	अलीगढ़	मलिन बस्ती-83 बजट	न००१० अलीगढ़	मलिन बस्ती लक्ष्मपुर में श्री लालुन सिंह के मकान से नेत्रपाल सिंह के मकान तक, श्री चन्द्रपाल के मकान वाली गली, श्री अषोक के मकान से मरघट तक तथा श्री नानक के मकान से फैलाय सिंह के मकान तक नाली एवं इन्टरलोकिंग टाइल्स सढ़क निर्माण कार्य।	11.840
2	अलीगढ़	मलिन बस्ती-83 बजट	न००१० अलीगढ़	मलिन बस्ती लक्ष्मपुर में श्री सत्यदीर सिंह से जयदीर सिंह के मकान तक, श्री सत्यदीर के मकान से मलखान सिंह के गकान तक, श्री घर्मापाल के मकान से रामस्वरूप के मकान तक, मनोज वाली गली तथा श्री सत्यप्रकाश के मकान से निरोल्लम सिंह के मकान तक नाली एवं इन्टरलोकिंग टाइल्स सढ़क निर्माण कार्य।	13.239
3	अलीगढ़	मलिन बस्ती-83 बजट	न००१० अलीगढ़	मलिन बस्ती बीमा नगर शूतमौल चौराहे के पास श्री मेधराम वर्मा के मकान से श्री बद्री प्रसाद के मकान तक, श्री रामकिशोर सिंह के मकान से श्री रुपकिशोर के मकान तक, श्री नर्थु सिंह के मकान से श्री राजकुमार के मकान तक तथा श्रीगती नीनू के मकान से कालीचरण के मकान तक नाली एवं इन्टरलोकिंग टाइल्स सढ़क निर्माण कार्य।	12.676
4	अलीगढ़	मलिन बस्ती-83 बजट	न००१० अलीगढ़	मलिन बस्ती बीमा नगर में वाल्मीकि मन्दिर से श्री महेष कुमार के मकान तक नाली एवं इन्टरलोकिंग टाइल्स सढ़क निर्माण कार्य।	14.057

W



225/3

दूरध्या— 2280709  
2280710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व रथानीय कर्तों की स्थोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य पिपिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अधिना कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी रामेष्ठा रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यवहार की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

  
(ललित प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा
- कम्युटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

  
(ललित प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक



225/2

रुमाल 2288709  
2288710

नव घेता कंप्ल, 10 अशोक नगर, सलौनाक-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र. सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
5	अलीगढ़	मलिन वस्ती-83 बजट	न0निं० अलीगढ़	मलिन वस्ती लधिमपुर में श्री हरी के मकान से मन्दिर तक, भगवान दास के मकान से गनेशी लाल के मकान तक, रामग्राम वैद्य के मकान से इण्टरलोकिंग रोड तक, अमर सिंह वाली गली, प्रताप सिंह के मकान से चमन लाल के मकान तक, हरपाल के मकान से वीर सिंह तक, चुरामल के मकान से प्रेमवती के मकान तक नाली एवं इण्टरलोकिंग टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	12.321
6	अलीगढ़	मलिन वस्ती-83 बजट	न0निं० अलीगढ़	मलिन वस्ती लधिमपुर में श्री रामप्रसाद देवी के मकान से जय सिंह के मकान तक तथा कैलाप सिंह के मकान से लेखराज के मकान तक नाली एवं इण्टरलोकिंग टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	12.780
	योग				76.913

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य वसितायों तथा मलिन वसितायों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलोकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये।

- 1 उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य वसितायों तथा मलिन वसितायों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलोकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ढी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2 स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी रूचना राम्भनित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3 प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4 अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना रुचिरित करें।
- 5 स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/गियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6 प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरिता के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7 परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8 योजनान्तर्गत अवगुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9 उक्त धनराशि हूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित गद में व्यय की जाएगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।